संशोधन

संख्या- 409 /2024 / 3709 /चार-2024

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक 17 दिसम्बर, 2024**

विषय- जनपद देवरिया में शहीद रामचन्द्र विद्यार्थी विकास स्मारक स्थल में शिवराज उर्फ सोना सुनार की 06 फिट की आदमकद (खड़ी) ब्रांज प्रतिमा स्थापित किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक शासनादेश संख्या- 358 /2024 / 2978 /चार-2024-1856898 दिनांक 14 अक्टूबर, 2024 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सबंध में अपने पत्र संख्या- 3422/सं0नि0-25(2)/2024-25 टी0सी0 दिनांक 04 दिसम्बर, 2024 तथा शासनादेश संख्या- 358 /2024 / 2978 /चार-2024-1856898 दिनांक 14 अक्टूबर, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश संख्या- 358 /2024 / 2978 /चार-2024-1856898 दिनांक 14 अक्टूबर, 2024 में आंशिक संशोधन करते हुए शासनादेश संख्या- 358 /2024 / 2978 /चार-2024-1856898 दिनांक 14 अक्टूबर, 2024 के प्रस्तर-3 में उप प्रस्तर- (13) निम्नानुसार जोड़ा जाता है:-

(13) संस्कृति निदेशालय द्वारा उक्त धनराशि कोषागार से आहरित कर उ0प्र0 राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- उक्त शासनादेश संख्या- 358 /2024 / 2978 /चार-2024-1856898 दिनांक 14 अक्टूबर, 2024 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या- 409 /2024 / 3709 (1) /चार-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. जिलाधिकारी, देवरिया।
3. निदेशक, उ0प्र0 राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (लेखा) अनुभाग-7/ वित्त (ई-7) अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in